3/1/2014 32/148

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःभूमि / एफ.7(ड)(297)डीएलबी / 15 / 5138 दिनांक : 19/8/15

परिपत्र

राज्य की नगर निगम / परिषद / पालिकाओं के द्वारा होटल प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति के संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि वर्तमान में मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2013 प्रभावी है। अतः नियमानुसार / प्रावधानानुसार स्थानीय स्तर की होटल प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति जारी करते समय मॉडल भवन विनियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नानुसार निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें :–

1. मौके पर सेट बैक्स में स्थित अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करे।
2. मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. हेतु बेटरमेन्ट लेवी राज्य सरकार के आदेशक क्रमांकः प.10(7)नविवि / 3 / 2009 पार्ट–II दिनांक 20.09.2013 की तालिका संख्या 9 अनुसार देय होगी।
3. भवन में लिफ्ट एवं अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
4. भवन में पार्किंग के प्रावधान की भवन विनियमों के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी। लोवर एवं अपर बेसमेन्ट का उपयोग पार्किंग प्रयोजनार्थ ही किया जावेगा एवं भवन में पार्किंग का अभाव होने पर अतिरिक्त एफ.ए.आर. की स्वीकृति देय नही होगी।
5. भवन मानचित्र का अनुमोदन स्थानीय स्तर से करवाया जाना होगा तथा भवन विनियमों के प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी राज्य सरकार के आदेशो की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. भवन में यदि नियमों के विपरीत निर्माण है तो उसके सम्बन्ध में नियमानुसार शास्ति बाबत् कार्यवाही की जावे।
7. भवन पर ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
8. भवन मानचित्र में भवन विनियमों के प्रावधान स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किये जायेगें।
9. उपरोक्त शर्तो की पालना नगर निगम / परिषद / पालिका स्तरों पर सुनिश्चित की जानी होगी।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव